उत्तराखण्ड शासन

Online Public Data Entry Summary

UKPDE2018045124849

DISTRICT NAME :देहरादून SRO :देहरादून — 21-Aug-2018 4:05:07PM

Appointment Date: 21 Aug 2018 — Appointment Time:4:30 p.m to 5:30 p.m — Appointment TokenNo:5

Deed/Article Type :Trust (Movable)

Sub-Deed/Sub-Article :Trust (Movable)

Village/Location :

Area : 0.0000

Transaction Value :0.00	Market Value :0.00	Regn Fees :1,000.00	Stamp Duty :1,200.00
Advance :0.00	Lease Period :0.00	Avg. Rent :0.00	Construction Value :0.00
Khasra :	Khatoni :	Khewat :	House/Flat :
Land Value :0.00	Page :40	Words :1,000	Deed Writer /Advocate Name :

व्यवसायिक निर्माण का विवरण

क्र.सं	निर्माण का प्रकार	रक्बा

आवासीय निर्माण का विवरण

क्र सं	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण तल	ह्रास वर्ष	रक्बा

निबंधक शुल्क का विवरण

क्र सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक
1	Cash	1,000.00	0

स्टाम्प शुल्क का विवरण

क्र सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक	जारी दिनांक	स्टांप विक्रेता आईडी
1	e-Stamp	1,200.00	0	21-Aug-2018	0

पक्षकारों का विवरण

पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का विवरण	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पैन नं	मोबाइल नं	पहचान पत्र संख्या
विक्रेता / प्रथम पक्ष	श्री दिव्या दृष्टि एजुकेशनल सोसाइटी दवरा अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री कुंवर सिंह निवासी १४ ए, रोबटर्स लाइन, घंघोड़ा, गढ़ी कैंट, देहरादून		OTHERS		0	ADHAAR : 204758315071
क्रेता / द्वितीय पक्ष	श्री मोतीराम यादव (ट्रस्टी) पुत्र श्री कुंवर सिंह निवासी ग्राम बाखरपुर बलेनी, जिला बागपत		OTHERS	BONPR6052R	0	ADHAAR : 748282713670
गवाह	श्री राकेश रावत पुत्र श्री प्रताप सिंह रावत निवासी १०९, विजय कॉलोनी हाथीबड़कला, देहरादून		OTHERS		0	ADHAAR : 479791828098
गवाह	श्री हरिशंकर सैनी पुत्र श्री राम कुमार सिंह निवासी ४३५, खुड़बुड़ा, देहरादून		OTHERS		0	ADHAAR : 322872623325

बही नं0:4 ले0सं0: 642 (भाग–1) क्रम संख्या :96 / 9

(प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला)

लेख या प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 21-Aug-2018

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम दिव्या दृष्टि एजुकेशनल सोसाइटी दवरा अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह

लेख का प्रकार Trust (Movable)

प्रतिफल की धनराशि	
1 रजिस्ट्रीकरण शुल्क	1,000.00
2 प्रतिलिपिकरण शुल्क	10.00
3 इलैक्ट्रानिक शुल्क	360.00
4 निरीक्षण या तलाश शुल्क	0.00
5 मुख्तारनामा के अभिप्रमाणीकरण के लिए शुल्क	0.00
6 कमीशन शुल्क	0.00
7 नकल शुल्क	0.00
8 विविध	0.00
9 यात्रिक भत्ता	0.00
10 कम रजिस्ट्रीकरण शुल्क	
11 योग	1,370.00

शुल्क वसूल करने का दिनांक 21-Aug-2018

क जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 21-Aug-2018

ण अधिकारी के हस्ताक्षर उपनिबंधक,देहरादून,तृतीय

IV
642
2018

ट्रस्ट डीड

दिव्या दृष्टि एजुकेशनल सोसायटी

ट्रस्ट प्रपत्र का मूल्यांकन	:	रूपये 50,000/–
प्रपत्रों की संख्या	:	15
स्टाम्प शुल्क	:	रूपये 1200/–
अधिष्ठाता का नाम व पता	:	श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री कुंवर सिंह
		निवासी– 14 ए ,रॉबर्टस लाइन, घंघोड़ा, गढ़ीकैन्ट,देहरादून उत्तराखण्ड 248003
		आधार कार्ड नं. 204758315071
		पैन कार्ड नं0 DGTP4216J
ट्रस्ट का नाम	:	**दिव्या दृष्टि एजुकेशनल सोसायटी**
कार्यालय–		14 ए ,रॉबर्टस लाइन, घंघोड़ा, गढ़ीकैन्ट,देहरादून उत्तराखण्ड 248003

मेरे द्वारा चैरिटेबल ट्रस्ट गठित करनें हेतु रू0 50,000/– की धनराशि चेक नं0 , 007944 दिनांक 21/08/2018, इलाबाद बैंक, गढ़ीकैन्ट,देहरादून (उत्तराखड) द्वारा ट्रस्ट में निहित कर दी है।

हस्ताक्षर अधिष्ठाता/संस्थापक

MD Yadav

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

JITENDRA SINGH

KUNWAR SINGH

10/04/1980
Permanent Account Number
DGTPS4216J

Signature

03042013

[redacted] भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

जीतेन्द्र सिंह
Jitendra Singh
जन्म तिथि/DOB: 10/04/1980
पुरुष/ MALE

2047 5831 5071

मेरा आधार, मेरी पहचान

[redacted] पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:
S/O कुंवर सिंह, 14- ए, रॉबर्ट लाईन मार्ग, विलासपुर कन्डली घंघोड़ा, बिलास पुर
कन्दली, देहरादून,
उत्तराखंड - 248141

Address :
S/O Kunwar Singh, 14- A,
Roberts line marg, Vilaspur
Kandli Ghanghora, Bilas Pur
Kandali, Dehradun,
Uttarakhand - 248141

Download Date: 30/01/2018

Generation Date: 24/05/2016

2047 5831 5071

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

P.O. Box No. 1947,
Bengaluru-560 001

भारत सरकार

Government of India

मोतीराम यादव

Motiram Yadav

जन्म तिथि / DOB : 05/04/1971

पुरुष / Male

7482 8271 3670

आधार - आम आदमी का अधिकार

[redacted]धिकरण

[redacted]tion Authority of India

आधार

पता:
सम्बोधित: कंवर सिंह यादव, बाखरपुर, बलेनी, बागपत, बलेनी, उत्तर प्रदेश, 250626

Address:
S/O: Kanwar Singh Yadav, Bakharpur, Baleni, Baghpat, Baleni, Uttar Pradesh, 250626

7482 8271 3670

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

आयकर विभाग | भारत सरकार

INCOME TAX DEPARTMENT | GOVT. OF INDIA

MOTI RAM

KANWAR SINGH

05/04/1971

Permanent Account Number

BONPR6052R

मोती राम

Signature

02052013

MR Yadav

1M
642
2018

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UK797040802504 43Q
Certificate Issued Date	:	20-Aug-2018 01:45 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1200204/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK12002046074625900 5929Q
Purchased by	:	JITENDRA SINGH
Description of Document	:	Article 64(A) Trust
Property Description	:	14 A ROBRTS LINE GHANGHRA GARHI CANTT, DISTT. D.DUN
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	DIVYA DRISHTI EDUNCTIONAL SOCIETY
Second Party	:	JITENDRA SINGH
Stamp Duty Paid By	:	JITENDRA SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,200 (One Thousand Two Hundred only)

Please write or type below this line

TQ 0001029425

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

ट्रस्ट डीड

आज दिनांक 21–.08–.2018 को : श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री कुंवर सिंह निवासी– 14 ए ,रॉबर्टस लाइन, घंघोड़ा, गढ़ीकैन्ट,देहरादून उत्तराखण्ड,जिसे आगे ट्रस्ट संस्थापक (फाउन्डर) कहा गया है, यह ट्रस्ट निष्पादित करता हूँ। जो कि संस्थापक/ संरक्षक सामाजिक एवं शिक्षा व्यक्ति है तथा उसकी बचपन से यह नियंत्रण इच्छा चली आ रही है कि वह समाज के लिए उत्तम कार्य करें तथा सामाजिक कार्य के साथ–साथ शिक्षात्मक कार्य भी करें इन सभी उद्देश्यों से संस्थापक न्यासी ने **श्री मोतीराम** यादव की सहमति से वर्तमान न्यास की सहमति से वर्तमान न्यास प्रपत्र की रचना की है तथा संस्थापक शिक्षा, ज्ञान, आधुनिक विषय एवं तकनीकों का ज्ञान, कर्तव्यों एवं कानूनी ज्ञान को समाचार पत्रों के लेख विलेख द्वारा प्रचार–प्रसार हेतु एक ट्रस्ट स्थापित करने के इच्छुक हैं। अतः ट्रस्ट निर्माण के लिए निम्न प्रकार घोषणा कर ट्रस्ट स्थापित करते हैं।

ट्रस्ट का नाम – दिव्या दृष्टि एजुकेशनल सोसायटी

कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण भारत तथा ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय 14 ए ,रॉबर्टस लाइन, घंघोड़ा, गढ़ीकैन्ट,देहरादून (उत्तराखड),में होगा। परन्तु ट्रस्ट मण्डल को इसे भारत में कहीं और भी स्थानान्तरित करने तथा शाखायें अथवा कार्पोरेट कार्यालय (corporate office) स्थापित करने का अधिकार होगा।

ट्रस्ट के उद्देश्य–

1. शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु प्राईमरी से लेकर उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन जिनमें हिन्दी, अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं के साथ व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा आधुनिक विषयों की शिक्षा की व्यवस्था हो, को संचालित करना। संपूर्ण भारतवर्ष में शिक्षा स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थानों, तकनीकी शिक्षा संस्थान उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थान का निर्माण व संचालन करना तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना । प्रयोजन वर्तमान न्यास शिक्षात्मक न्यास है। इसका गठन सामाजिक व शिक्षात्मक उत्थान के लिए किया गया है तथा अपने द्वारा सर्जित उद्देश्यों का अनुपालन करने के लिए गठित किया गया है। न्यास के उद्देश्य उपरोक्त तथा न्यास के उद्देश्यों एवं विषयःवस्तु से उत्पन्न संबंधित कार्य इससे भी समझ जाएंगे।
2. साधनहीन, निर्धन, विकलांग, पीड़ित महिलाओं/व्यक्तियों, पिछड़ी जातियों तथा शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों को आर्थिक उन्नयन में सहायता प्रदान करना तथा शिक्षा एवं खेलों में प्रोत्साहन देना। समाज के पिछड़े हुए और उपेक्षित वर्ग के लोगों को शैक्षिणिक , सामाजिक विकास हेतु प्रोत्साहित करना।
3. छात्र –छात्राओं को आवासीय शिक्षा प्रदान करना एवं न्यास का उद्देश्य निर्धन एवं उत्कृष्ट माध्यमिक सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना जिससे की उत्कृष्ट एवं निर्धन छात्रों को प्रोत्साहन मिल सके व न्यास भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की परंपराओं को दृष्टिगत रखते हुए मानव कल्याण हेतु स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से सेवा करना।
4. छात्र –छात्राओं के लिए आवासीय हॉस्टलों का संचालन करना।

Yadav

6. साधनहीन, निर्धन, विकलांग, पीड़ित महिलाओं/व्यक्तियों, पिछड़ी जातियों तथा शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों को आर्थिक उन्नयन में सहायता प्रदान करना तथा शिक्षा एवं खेलों में प्रोत्साहन देना।
7. गरीब कन्याओं के विवाह में आर्थिक सहयोग करना।
8. भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रचार–प्रसार करना। खादी ग्रामोद्योग द्वारा अनुमोदित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के स्तर को ऊँचा उठाकर स्वाभलम्बी समाज की स्थापना करना।
9. गाँवो की दशा सुधारने हेतु शुद्ध पेयजल, सड़क ,मकान, स्वास्थय, चिकित्सा, पर्यावरण ,खेल ,मनोरंजन ,कार्यक्रमों को संस्था के माध्यम से चलाना खादी ग्रामोद्योग के प्रति लोंगों में रूचि पैदा कर गांधी जी के ग्राम स्वराज संदेश को घर–घर गांव–गांव पहुंचाकर बेकारी एवं बेरोजगारी को दूर कर सपनों को साकार करना।
10. पर्यावरण संरक्षण, पेयजल संरक्षण आदि के लिए समाज को जागृत करना। जड़ी–बूटी, चिकित्सालय, औषधालय, प्याऊ, विश्राम गृह, अनाथ आश्रम, कुष्ठ आश्रम आदि की स्थापना करना एवं संचालित करना। पूर्व में चल रही ऐसी ही संस्थाओं का प्रबन्धन करना तथा उनका संचालन करना।
11. भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का प्रचार–प्रसार करना एवं पुस्तकालय एवं शिक्षण संस्थाओं के द्वारा ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना। संस्कृत, उर्दू, फारसी व विदेशी भाषाओं का भी प्रचार–प्रसार करना।
12. सामाजिक कार्यों द्वारा समाज को उन्नत करने हेतु हर सम्भव प्रयास करना।
13. समय–समय पर गरीब जनता के लिए स्वास्थ्य परीक्षण एवं मुफ्त दवा वितरण हेतु कैम्प लगाना। न्यास का उद्देश्य आयुर्वेदिक उपयोग यूनानी एवं सिद्ध पद्धत चिकित्सा पद्धति के प्रति जागरूकता लाना उद्देश्य होगा। न्यास का उद्देश्य चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना, जिससे निशक्त जनों को चिकित्सीय सुविधाएं प्राप्त हो सके।
14. असहाय बच्चों के भरण पोषण तथा उन्हें योग्य बनाने हेतु प्रयास करना । अनाथ एवं विकलांग बच्चों का पालन–पोषण एवं बौधिक उत्थान।
15. मानसिक एवं विकलांग दिव्यांग बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था करना , छात्रावास का निर्माण करना संचालन करना इत्यादि।
16. शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे बच्चों व विद्यार्थियों को सम्मानित करना व शिक्षा के क्षेत्र में कार्यशालाओं सेमिनारों व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।
17. पशुपालन करना व गऊ माता की सेवा, उत्थान व उनकी सुरक्षा हेतु गौशाला का निर्माण व विकास करना एवं उनके संवर्धन हेतु सभी सम्भव प्रयास करना।
18. समय–समय पर प्राकृतिक व देवीय आपदाओं में सहायता कार्यक्रम संचालित करना और उनके लिए उचित सहयोग एवं सहायता करना।
19. वृक्षारोपण, पर्यावरण एवं गंगा व अन्य नदियों की सफाई और उनके संवर्धन हेतु कार्य करना।
20. निःसहाय महिलाओं एवं पुरूषों के आर्थिक निर्वाहन हेतु लघु उद्योग, गृह उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पशु पालन, डेरी उद्योग, खाद्य संस्करण का प्रशिक्षण देने एवं स्वाबलंबी बनाने में सहयोग करना। मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संस्थाओं को यथासंभव सहयोग। विशिष्ट प्रतिभा संपन्न न्यासी प्रतिभाओं का जन हित उपयोग ।

बही संख्या 4 रजिस्ट्रीकरण संख्या 642 वर्ष 2018

Trust (Movable)

Trust (Movable)

रजिस्ट्रेशन शुल्क	प्रतिलिपि शुल्क	इलेक्ट्रानिक प्रोसेसिंग शुल्क	कुल योग	शब्द लगभग
रु0 1,000.00	रु0 10.00	रु0 360.00	रु0 1,370.00	1,000

श्री दिव्या दृष्टि एजुकेशनल सोसाइटी दवरा अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री कुंवर सिंह निवासी १४ ए, रोबटर्स लाइन, घंघोड़ा, गढ़ी कैंट, देहरादून ने आज दिनांक 21 Aug 2018 समय मध्य 4PM व 5PM को कार्यालय उपनिबन्धक देहरादून,तृतीय मे प्रस्तुत किया।

दिव्या दृष्टि एजुकेशनल सोसाइटी दवरा
अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह

उपनिबन्धक
देहरादून,तृतीय
21-Aug-2018

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख मे लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्री दिव्या दृष्टि एजुकेशनल सोसाइटी दवरा अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री कुंवर सिंह निवासी १४ ए, रोबटर्स लाइन, घंघोड़ा, गढ़ी कैंट, देहरादून \ ने प्रलेखानुसार निष्पादन स्वीकार किया। इस लेखपत्र का निष्पादन प्रलेखानुसार श्री मोतीराम यादव (ट्रस्टी) पुत्र श्री कुंवर सिंह निवासी ग्राम बाखरपुर बलेनी, जिला बागपत \ ने भी स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री राकेश रावत पुत्र श्री प्रताप सिंह रावत निवासी १०९, विजय कॉलोनी हाथीबड़कला, देहरादून तथा श्री हरिशंकर सैनी पुत्र श्री राम कुमार सिंह निवासी ४३५, खुड़बुड़ा, देहरादून ने की।

उपनिबन्धक
देहरादून,तृतीय
21-Aug-2018

21. निर्धन एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को यथोचित सहायता। विभिन्न समकक्ष तथा सक्षम संस्थाओं/ संस्थापकों/ विशेष दानदाताओं से सहयोग आदि प्राप्त करना ।विभिन्न सरकारी /अर्ध सरकारी कार्यालयों /अधिकारियों से जनहितार्थ प्राप्त और सुविधाओं को प्राप्त करने के उद्देश्य में प्रयोग कर न्यास का उत्थान ।

22. न्यास में रुचि रखने वाले जन कल्याणकारी संस्थानों /न्यासों का नियम अनुसार न्यास में विलय करना अथवा न्यास के उद्देश्य एवं नियमों के अंतर्गत सेवाएं प्राप्त करना ।

23. प्रत्येक प्रकार के सामाजिक एवं शिक्षात्मक कार्य करना जो ऊपर वर्णित न हो पाए उन्हें संचालक मंडल अपने प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त करें बालक बालिकाओं के सुधार व्यवहार के लिए कार्य करना सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं का कार्य कार्यान्वयन करना।

<u>ट्रस्ट के आय के स्रोत</u>–

(1) ट्रस्टियों द्वारा आर्थिक सहयोग।

(2) विभिन्न श्रद्धालुओं द्वारा दिया गया नकद दान एवं चल, अचल सम्पत्ति।

(3) ट्रस्ट की चल अचल सम्पत्तियों से आय।

(4) स्वैच्छिकदान

(5) न्यासी द्वारा अनुदान

(6) लोक अनुदान

(7) निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अनुदान

(8) चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा अनुदान

(9) विविध सामाजिक धार्मिक संस्थाओं द्वारा अनुदान

(10) निवेश से ब्याज एवं आय

(11) प्रवासी भारतीयों से प्राप्त अनुदान

(12) बैंकों से प्राप्त ऋण तथा राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से अनुदान

(13) अन्य स्रोतों से आय.

<u>ट्रस्ट के क्रियाकलाप</u>–

(14) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दान में रूपया, सम्पत्ति व अन्य वस्तुओं को ट्रस्ट हित के लिए ग्रहण करना।

ट्रस्ट के लिंए सम्पत्ति क्रय करना, ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट की उस सम्पत्ति को विक्रय करना जिससे ट्रस्ट को लाभ नहीं हो रहा है या ट्रस्ट की प्रगति के लिए आवश्यक हो।

बही संख्या 4 रजिस्ट्रीकरण संख्या 642 वर्ष 2018

दिव्या दृष्टि एजुकेशनल सोसाइटी दवरा अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह

मोतीराम यादव (ट्रस्टी)

राकेश रावत

हरिशंकर सैनी

प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये है ।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, देहरादून,तृतीय
21 Aug 2018

(15) जहां आवश्यक हो ट्रस्ट की शाखायें स्थापित करना तथा उनके प्रबन्धन व संचालन की व्यवस्था करना।

(16) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चल–अचल सम्पत्तियों को ग्रहण करना, अस्पताल, प्राईमरी पाठशालायें व उच्च शिक्षण संस्थाओं के भवन निर्माण करना, विभिन्न विषयों के तकनीकी शिक्षाओं हेतु भवन निर्माण, रोगियों के लिए चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना। हॉस्टलों का संचालन करना।

न्यास की संपत्ति को विक्रय करना :–

(17) यह है कि यह की न्यास का संरक्षक मंडल एक मत से न्यास के लाभार्थ, न्यास के प्रयोजन के लिए न्यास को प्रतिफल की आवश्यकता हेतु, ,न्यास कि किसी संपत्ति को विक्रय कर सकता है तथा प्रतिफल प्राप्त कर सकता है । न्यास का संरक्षक मण्डल किसी व्यक्ति विशेष को न्यास की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत कर सकता है। वर्तमान न्यास पत्र में संरक्षक मंडल द्वारा संपत्ति को विक्रय करने के लिए बाधा प्रविष्ट नहीं की गई हैं।

न्यास की संपत्तियों को क्रय करना :–

(18) यह कि वह सभी चल व अचल संपत्तियां जो न्यास के नाम होंगी या न्यास के हितार्थ समझी जावेगी । न्यास के स्वामित्व में होगी। संरक्षक/ संस्थापक मण्डल एकमत से न्यास की संपत्तियों को परिवर्तित कर सकता है । न्यास हित में विकिय कर सकता है और प्रतिफल को न्यास में ही प्रयोग कर सकता है ।

ऋण लेने की शक्तियां :–

(19) यह कि न्यास राष्ट्रीकृत बैंक से या अन्य किसी वित्तीय संस्था से संचालक मण्डल के बहुमत के प्रस्ताव द्वारा ऋण प्राप्त कर सकता है। न्यास की संपत्ति को गिरवी रख सकता है । व्यापार को गिरवी कर सकता है व न्यास अपनी अन्य संपत्तियों को भी गिरवी रख सकता है । परंतु ऋण लेने से पूर्व यह प्रस्ताव पारित करना होगा कि ऋण की आवश्यकता मात्र न्यास ,उसकी समितियां व उपसमितियों के लिए ही तथा न्यास के उत्थान के लिए है किसी अन्य कार्य के लिए नहीं है।

बैंक में संचालन

(20) यह कि संचालक मण्डल अध्यक्ष /कोषाध्यक्ष /सचिव के नामित पदाधिकारी बैंक के खातों का संचालन करेंगे, धनराशि जमा करेंगे ,धनराशि निकालेंगे तथा बैंक के प्रत्येक प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करेंगे।

खातों की लेखापरीक्षा

(21) यह कि न्यास के वार्षिक खाते विधिवत चार्टर्ड अकाउंटेंट या ट्रस्ट के 2 पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से परिक्षित होंगे और परीक्षित होने के उपरांत उसकी वार्षिक विवरणी तैयार की जावेगी और वह वार्षिक विवरणी संचालन मण्डल से बहुमत से स्वीकृत की जावेगी यह की न्यास काले के झोंके का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक जारी रहेगा वह समझा जावेगी।

न्यास की संपत्तियां

(22) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षण संस्थाओं हेतु भूमि क्रय करना या सम्पत्ति लीज पर लेना आदि।

(23) यह कि न्यास संरक्षक मण्डल बहुमत से किसी भी चल व अचल संपत्ति को क्रय करने का तथा प्रतिफल देने का निर्णय ले सकती है और सम्पत्ति का अन्तरण व्यास के नाम अंतरित करने हेतु अधिकृत कर सकती है।

समिति गठित करने की शक्तियां एवं सदस्यों का आमंत्रण–:

(24) यह कि यहां न्यास, न्यास मण्डल के माध्यम से कार्य करेगा समितियों व उप समितियों का निर्माण करेगा वर्तमान न्यास पत्र में वर्णित दायित्वों का पालन करेगा यदि न्यास मण्डल साधारण सदस्यों को न्यास का सदस्य बनाना चाहेगा तो प्रस्ताव पारित करने के साधारण सदस्यों को परस्पर निर्धारित प्रतिवर्ष शुल्क पर 1 वर्ष के लिए न्यास का सदस्य बना सकेगा, समय–समय पर न्यास न्यासी की नियुक्ति करेगा आजीवन व साधारण सदस्यों को नामित होने के नियमों का निर्माण करेगा।

(25) यह की न्यास मण्डल किसी व्यक्ति को आजीवन सदस्य बनाने या संरक्षक सदस्य बनाने के लिए शुल्क नियत करके बहुमत से प्रस्ताव पारित कर के आजीवन सदस्य व संरक्षक नियुक्त कर सकेगा।

(26) यह कि गठित न्यास न्यासी आजीवन न्यासी रहेगा तथा उसको भी न्यासी नामित करने का अधिकार प्राप्त है।

(27) यह कि यदि कोई संस्थापक न्यासी का देहांत हो जाता है या वह विधिक् रूप से असक्षम हो जाता है या दिवालिया घोषित हो जाता है तो शेष न्यासी उसके स्थान पर 2/3 बहुमत से अन्य न्यासी का चयन कर सकते हैं।

(28) यह कि संगठन का न्यासी अपनी इच्छा से त्याग पत्र दे सकता है और अन्य न्यासी उसी स्थान पर नए न्यासी की नियुक्ति कर सकते हैं।

(29) यह की संस्थापक न्यासी अन्य न्यासी को नामांकित कर सकते हैं, जो अधिकतम 11 होंगे।

(30) यह की संस्थापक न्यासी को यह को ही मात्र चुनाव कराने का अधिकार होगा।

(31) यह कि किसी समय पर यदि न्यासी दो न्यासी से कम हो जाते हैं तो अन्य न्यासी को संस्थापक न्यासी नियुक्त करने व अन्य न्यासी नियुक्त व चयनित करने का अधिकार प्राप्त है।

प्रशासन :–

(32) यह की न्यास न्यास की शाखाएं न्यास द्वारा नामित समितियां संरक्षक/संस्थापक मण्डल के सीधे प्रशासन में होगी और संरक्षक मण्डल के नियंत्रण के लिए अपने स्वयं की प्रक्रिया व नियम निर्मित करेंगे और जब तक प्रक्रिया व नियम निर्मित नहीं होते हैं तब तक वह साधारण रूप से प्रक्रिया करते रहेंगे।

न्यासी एवं उनकी नियुक्ति :–

(33) यह कि न्यास के मुख्य संरक्षक संस्थापक/अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह होंगे। न्यासी का 2/3 बहुमत न्यासी का स्थान ग्रहण करेगा। न्यासी अपना नामांकन अपने किसी न्यासी सदस्य को ही करेगा,। न्यास अंतिम इच्छा पत्र द्वारा भी अपना वंशज घोषित कर सकता है।

(34) यह कि यदि कोई न्यासी न्यास मण्डल से त्यागपत्र देता है और संचालक मण्डल उसको बहुमत से स्वीकार करता है तो न्यासी का त्याग पत्र स्वीकार किया जा सकता है ,परंतु न्यासी को त्यागपत्र देने से पूर्व मुख्य संरक्षक महोदय की सहमति पर अनुमति की आवश्यकता होगी।

(35) यह की न्यास मण्डल किसी भी एक न्यासी एक न्यासी को 2/3 बहुमत से निकाल सकता है परंतु संस्थापक सदस्यों को नहीं निकाला जा सकता है।

(36) यह की न्यासी के स्थान पर रिक्त स्थान पर न्यास मण्डल न्यासी नियुक्त कर सकता है।

(37) यह की प्रबंध कार्यकारिणी वर्ष में एक बार अवश्य अपनी सभा करेगी और यदि एक बर्ष में सभा नहीं कर पाया तो उसको संरक्षण मण्डल से इसकी सूचना देनी होगी।

(38) यह की सभी न्यासी का मण्डल संरक्षक मण्डल के नाम से कहलाएगा।

न्यासी द्वारा न्यास का विश्वास भंग न करना :–

(39) यह कि प्रत्येक न्यासी प्रत्येक घोषणा प्रस्ताव को गोपनीय रखिएगा और गोपनीयता व विश्वास को भंग नहीं करेगा ।

(40) प्रत्येक न्यासी का यह वचन समझा जायेगा कि वह न्यास की गोपनीयता को भंग नहीं करेगा।यह कि न्यास के प्रत्येक न्यासी का दायित्व व्यक्तिगत नहीं होगा और न्यास के प्रति वसूली न्यासी के प्रति नहीं समझी जावेगी और न हीं न्यासी से वसूल की जाएगी जावेगी।

(41) यह की यह की यदि मुख्य न्यासी न्यास भंग करता है, और उसके कारण न्यास को हानि होती है तो उसका समस्त हर्जाना न्यासी व्यक्तिगत रूप से न्यास को समर्पित करेगा ।

न्यास के पदाधिकारी :–

(42) यह कि न्यास के पदाधिकारी प्रथमतः 2/3 से निर्वाचित होंगे। चुनाव निम्न पदों पर संस्थापक संरक्षक मण्डल द्वारा किया जाएगाः–

1– अध्यक्ष 2– उपाध्यक्ष 3 –सचिव 4–सह सचिव 5–कोषाध्यक्ष

अन्य सदस्य जो संरक्षण मंडल की सहमति के साथ मनोनयन के रूप में अन्यथा नामांकन पर या चयन पर न्यास मंडल के साथ कार्य करेंगे। इन न्यासी के पद समय–समय पर सृजित किए जाएंगे।

(43) यह की संस्थापक अध्यक्ष द्वारा नामांकन सूची उपरोक्त पदों द्वारा जारी किए जाने पर विरोध की स्थिति में असहमति की स्थिति में भारतीय संविधान की प्रक्रिया के अनुसार चयन की पद्धति अपनाई जावेगी। यह चयन संस्थापक अध्यक्ष मण्डल के विरुद्ध नहीं होगा।

(44) यह की संस्थापक सदस्य को पूर्ण संचालक मण्डल को विनिष्ट करने की शक्तियां प्राप्त होंगी ।संस्थापक सदस्य बिना कोई कारण बताए संचालक मण्डल में उपलब्ध पदाधिकारियों को विनिष्ट कर उन्हें न्यासी के रूप में

रहने की अनुमति दे सकता है और जब तक संचालक मण्डल का पुनर्निर्माण हो जावे तब तक समस्त शक्तियां संस्थापक महोदय में नियमित होंगी।

न्यास के संस्थापक की शक्तियां व कर्तव्य :–

(45) यह कि संस्थापक न्यास संचालक मण्डल, समितियां उपसमितियां तथा अन्य प्रकार की शाखाओं का प्रथम कार्यकारी अधिकारी होगा और न्यास की सभी शक्तियां प्रथमतः उसमें सर्जित होंगी और वह भी स्वयं में सर्जित शक्तियों को संचालक मण्डल समितियों एवं उपसमितियों में सृजित करेगा और आवश्यकता पड़ने पर उन शक्तियों को वापस लेगा।

(46) यह कि संरक्षक मंडल सत्य निष्ठा से व पवित्रता से अपना कार्य करेंगे और समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से निष्पक्षता से करेंगे।

(47) यह की अध्यक्ष महोदय का यह कर्तव्य है कि वह न्यास का संचालन सुचारु रुप से करें।

संचालक मण्डल/ प्रबन्धकारिणी के कर्तव्य व दायित्व :–

(48) यह कि संचालक मंडल के निर्वाचित या चयनित होने से, संचालक मण्डल प्रभाव में आज जावेगा और अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में 2/3 बहुमत से निर्वाचित पदाधिकारी प्रबंधकारिणी का संचालन करेंगा।

(49) यह कि प्रबंधक मण्डल सभी समितियों,उपसमितियों का न्यास का प्रशासन करेगा, चल–अचल संपत्तियों का परीक्षण व निरीक्षण करेगा , कर्मचारियों सेवकों , निदेशकों की नियुक्ति करेगा, उनका निष्कासन करेगा ,निलंम्बित करेगा।

(50) यह कि प्रत्येक प्रकार की नियमावली का निर्माण करेगा , जिसके लिए संरक्षक मण्डल की सहमति लेनी होगी ।

(51) यह कि प्रबन्धक मण्डल का दायित्व है कि वह न्यास की चल अचल संपत्ति की सुरक्षा करें ।

(52) यह की प्रबंधक मण्डल एकमत से संपत्ति को विक्रय करने ,दान देने अन्तरित करने का प्रस्ताव पारित कर सकता है और उसके प्रतिफल को न्यास के अन्य कार्य में सद्रउपयोग कर सकता है, जिसके लिए संरक्षक मंडल की सहमति लेनी होगी।

(53) यह की संचालक मंडल किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में अपनी समस्त शक्तियां अर्जित कर सकता है, ताकि वह न्यास की ओर से न्यास के समतुल्य प्रत्येक प्रकार के लेख व प्रपत्रों पर हस्ताक्षर कर सके विक्रय प्रतिफल प्राप्त कर सके, व्यक्ति विशेष को दायित्व से मुक्त कर सके, जिसके लिए संरक्षक मंडल की सहमति लेनी होगी।

न्यास के नियम :–

(54) यह कि न्यास स्वयं समिति तथा उपसमिति के लिए आवश्यकतानुसार नियमों की रचना कर सकता है।

(55) यह कि न्यास रचित नियमों में 2/3 बहुमत से संशोधित कर सकता है।

वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही :–

(56) यह कि न्यास तथा समितियां समय–समय पर अपनी बैठक के बुला सकती है, परंतु वर्ष में एक बार उन्हें अपनी बैठक बुलानी अवश्य होगी, जिसमें वह संबंधित न्यास समिति व उपसमिति का लेखा–जोखा रखेंगे तथा भावी वर्ष का भी लेखे–जोखे का प्रस्ताव रख कर अनुमोदन कराएंगे । कम से कम तीन पदाधिकारियों ने हस्ताक्षर लेखे–जोखे पर अनिवार्य होगे।

(57) ट्रस्ट के ट्रस्टी निम्न प्रकार होगें –
(क) आजीवन ट्रस्टी – 2 (दो)
(ख) साधारण ट्रस्टी – न्यास की आवश्कता अनुसार

न्यास का निर्माण :–

(58) वर्तमान न्यास के न्यासी कम से कम 2 व अधिक से अधिक 11 रहेंगे वर्तमान न्यास के संस्थापक/ संरक्षण मंडल न्यासी निम्न प्रकार होंगे ।

क्र.सं.	नाम	पता	पद
1	श्री जितेन्द्र सिंह सिंह पुत्र श्री कुंवर सिंह	14 ए ,रॉबर्टस लाइन, घंघोड़ा, गढ़ीकैन्ट,देहरादून (उत्तराखड) 248003 आधार कार्ड नं. 204758315071 पैन कार्ड नं0 DGTP4216J	अध्यक्ष/संस्थापक/संरक्षक आजीवन ट्रस्टी
2	श्री मोतीराम यादव पुत्र श्री कुंवर सिंह यादव	ग्राम व पोस्ट बाखरपुर बलैनी जिला बागपत यू पी 250626 आधार कार्ड नं0 748282713670 पैन कार्ड नं0 BONPR6052R	सचिव –आजीवन ट्रस्टी

साधारण ट्रस्टीः–

1. साधारण ट्रस्टियों का चुनाव आजीवन ट्रस्टी संस्थापक की सहमति से किया जायेगा।
2. आजीवन ट्रस्टी के रिक्त स्थान की पूर्ति आजीवन ट्रस्टीगण तथा संस्थापक ट्रस्टी की संस्तुति पर की जायेगी।
3. साधारण ट्रस्टी के रिक्त स्थान की पूति अथवा जो साधारण सदस्य ट्रस्ट के क्रिया–कलापों में रूचि न रखने अथवा त्यागपत्र दे दें, ऐसे सदस्य के रिक्त स्थान की पूर्ति आजीवन ट्रस्टी एवं संस्थापक ट्रस्टी की संस्तुति पर होगी।
4. प्रत्येक 5 वर्ष में आजीवन ट्रस्टीगणों के चुनाव द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष आदि सम्पूर्ण पदाधिकारियों का चुनाव आम सहमति के आधार पर होगा। पदाधिकारी पुनः निर्वाचित होने के लिए अर्ह होगें। जिसके कार्यकाल की कोई समय सीमा नहीं है।
5. किसी भी प्रस्ताव के पास करने के लिए आजीवन ट्रस्टीयों में से कम से कम दो ट्रस्टीयों की सहमति अनिवार्य होगी परन्तु निर्णायक मत संस्थापक (फाउन्डर चेयरमैन) का होगी।

नियमावली–

1. संस्थापक ट्रस्टी को अधिकार होगा कि वह साधारण ट्रस्टीयों की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए कर सकेगें। किसी भी साधारण ट्रस्टी को उनका कार्यकाल समाप्त होने पर पुनः नियुक्त किया जा सकेगा। संस्थापक ट्रस्टी के देहान्त होने पर या इस्तीफा देने की स्थिति में उनके स्थान पर अध्यक्ष/मुख्य कार्याधिकारी की नियुक्ति का अधिकार उनकी वसीयत/मनोनयन के आधार पर होगा।
2. यह कि संस्थापक ट्रस्टी के उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट के अध्यक्ष/मुख्य कार्याधिकारी पद पर नियुक्त होगें। आजीवन ट्रस्टीयों का सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा तथा विशेष परिस्थितियों में संस्थापक ट्रस्टी के उत्तराधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगा।
3. यह कि संस्थापक ट्रस्टी के बाद उनके उत्तराधिकारी या नामित व्यक्ति ही ट्रस्ट के अध्यक्ष होगें। संस्थापक ट्रस्टी को अधिकार होगा कि वह अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारियों में से किसी भी व्यक्ति भावी आजीवन पदाधिकारी/ट्रस्टी को उक्त पद पर नामित कर दें।
4. यह कि ट्रस्ट का हिसाब–किताब किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक में खाता खोलकर रखा जायेगा।
5. यह कि ट्रस्ट का हिसाब–किताब के समस्त अभिलेख संस्थापक आजीवन ट्रस्टी के पास ट्रस्ट कार्यालय में रखे जायेगें।
6. यह कि ट्रस्ट के हिसाब–किताब का वर्ष प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर अगले 31 मार्च तक होगा।
7. ट्रस्ट के सम्बन्ध में निर्णायक मत देने का अधिकार संस्थापक ट्रस्टी को होगा।
8. ट्रस्ट के सम्बन्ध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में कानूनी क्षेत्राधिकार केवल मात्र जनपद देहरादून ही होगा।

9. यह कि ट्रस्ट की ओर से कानूनी कार्यवाही करने व ट्रस्ट के विरूद्ध दायर वाद आदि में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करने का अधिकार कार्यधिकारी या संस्थापक ट्रस्टी द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति को होगा तथा उनके कार्यों के लिए ट्रस्ट की ओर से ट्रस्टी को अधिकार पत्र देने का अधिकार होगा।
10. ट्रस्ट की बैठक को सचिव, अध्यक्ष की अनुमति से बुलायेगा तथा बैठक में नोटिस का समय कम से कम 3 दिन का होगा। आवश्यक बैठक बिना नोटिस के कभी भी बुलाई जा सकती है।
11. यह कि ट्रस्ट की बैठक वर्ष में दो बार होगी तथा वर्ष की प्रथम बैठक में पिछले वर्ष का हिसाब–किताब तथा चालू वर्ष का बजट स्वीकार किया जायेगा। इस सभा में ट्रस्ट द्वारा वर्ष भर में किये गये क्रियाकलापों की रिपार्ट सचिव द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।
12. यह कि ट्रस्ट के कार्य से कहीं भी आने–जाने पर ट्रस्टी को अपने आने–जाने व खाने व ठहरने के लिए ट्रस्ट से उक्त खर्चा प्राप्त करने का अधिकार होगा।
13. यह कि संस्थापक ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी साधारण/आजीवन ट्रस्टी को ट्रस्ट के उद्देश्य व हित के विरूद्ध कार्य करने पर ट्रस्टी पद से हटा दे तथा किसी भी साधारण ट्रस्टी को किसी पद पर कार्य करने के लिए नामित कर दे।
14. यह कि ट्रस्टी मण्डल को ट्रस्ट के संचालन के लिए नियम व उपनियम बनाने का अधिकार होगा जो इस ट्रस्ट पत्र के किसी भी नियम का उलंघन न करते हों। यदि ट्रस्ट हित के लिए इस ट्रस्ट डीड में कोई संशोधन की कभी भी आवश्कता उत्पन्न होती है तो वह संशोधन इस ट्रस्ट डीड में संस्थापक अध्यक्ष की सहमति से किये जा सकेगें।
15. यह कि बैंक खाते का संचालन अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष में से दो के हस्ताक्षरों से होगा, जिसमें अध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य होगें।
16. यह कि ट्रस्ट के अधीन चलने वाली शिक्षण संस्थान का नाम सर्व सम्मति से आजीवन ट्रस्टीगण द्वारा रखा जायेगा।
17. यह कि ट्रस्ट को प्रारम्भ करने के लिए रूपये 50,000/– संस्थापक ट्रस्टी द्वारा चेक ट्रस्ट को दिया गया है। यह ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी।
18. निम्न परिस्थितियों में ट्रस्टी का स्थान रिक्त होगा–

(क) सामान्य ट्रस्टी के देहावसान पर।
(ख) दिवालिया या पागल होने पर तथा ट्रस्ट के विरूद्ध कार्य करने और ट्रस्टी पर अविश्वास होने पर।
(ग) ट्रस्टी द्वारा लिखित त्यागपत्र दिये जाने पर। इसके स्वीकार्य होने की तिथि पर।
(घ) किसी साधारण ट्रस्टी का कार्यकाल समाप्त होने पर या ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा हटाये जाने पर।

विघटन :–

1. वर्तमान न्यास का विघटन नहीं किया जाएगा
2. यदि किसी समय वर्तमान न्यास न्यासी रहित हो जाता है तो न्यायालय के माध्यम से न्यास की विवरणी निर्मित करा ली जावेगी

3. यदि विघटन की परिस्थितियां उपलब्ध होती है तो, सक्षम न्यायालय ही विघटन कर पाएगा ।
4. यह की वर्तमान विघटन का प्रभाव यह नहीं है कि न्यास मंडल चल व अचल संपत्तियों को न्यास के दौरान विक्रय नही कर सकता है

न्यास के अभिलेख

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. स्टॉक रजिस्टर
4. रसीद बुक

न्यास मंडल

1. यह की संचालक मण्डल से भिन्न एक मण्डल है जिसमें संरक्षक मण्डल तथा संस्थापक न्यासी सदस्य हैं। यह न्यास मंडल एक सर्वोच्च संस्था है जो संचालक मण्डल को भी नष्ट कर सकती है और नए संचालक मंडल का चयन कर सकती है। जिसके मुख्य अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह होंगे
2. सदस्यता का वर्ग
3. मुख्य संरक्षक एवं उसके द्वारा नामित आजीवन विशिष्ट निवासीगण मुख्य संरक्षक द्वारा नामित निर्धारित अवधि 2 वर्ष तक
4. विशेष नामित सन्यासी की सदस्यता समाप्ति
5. न्यास के विरूद्ध कार्य करने पर त्यागपत्र देने पर मृत्यु होने पर दिवालिया होने पर पागल होने पर

मध्यस्थता

1. यह की न्यास के सदस्यों में या न्यास तथा उसके सदस्यों में किसी प्रकार का विवाद होने पर विवाद का निस्तारण एकल मध्यस्थ संरक्षक संस्थापक मण्डल द्वारा कराया जावेगा और उसका निर्णय मान्य होगा।
2. यह की मध्यस्थता भारतीय सुलह एवं मध्यस्थता अधिनियम–1996 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अंतर्गत आयोजित व संपन्न होगी ।
3. यह कि यदि विवाद संरक्षक/ संस्थापक मण्डल से है तो संरक्षण/ संस्थापक मण्डल किसी अन्य को एकल मध्यस्थ अपने स्थान पर नियुक्त कर सकते हैं।

न्यास का कर से मुक्त होना

यह कि गठित न्यास स्वयं को कर मुक्त कराने के लिए आयकर या संबंधित आरोपित करो से मुक्त होने के लिए विधि अनुसार उचित कार्रवाही करेगा, जैसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा– 12(ए) 80 जी के अंतर्गत मुक्त होने की कार्यवाही व समतुल्य कार्यवाही।

स्टाम्प एवं पंजीकरण

वर्तमान न्यास का मूल्यांकन 50,000/– रूपये पर किया गया है, यही धनराशि संस्थापक अध्यक्ष ने न्यासी को न्यास गठित करने के लिए संकल्पित की है, यह मूल्यांकन पर अंकन 1200/– रूपये का स्टांप शुल्क समर्पित किया जा रहा है । वर्तमान न्यास का पंजीकरण विधि अनुसार केंद्रीय अधिनियम पंजीकरण अधिनियम 1908 (अधिनियम संख्या– 16 वर्ष 1908) के अंतर्गत पंजीकृत किया जा रहा है। वर्तमान न्यास के पंजीयन निष्पादन में होने वाला समस्त व्यय न्यास के संस्थापक न्यासी /मुख्य संस्थापक अध्यक्ष के द्वारा वहन किया गया है।

न्यास में संशोधन

आवश्यकता पड़ने पर वर्तमान न्याय में संचालक मंडल के बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। इस संचालक मंडल की सभा को बुलाने के लिए एक सप्ताह का लिखित सूचना –पत्र देना आवश्यक होगा। आपातकालीन बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। संचालक मंडल में 2/3 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होगी और विवाद होने पर अंतिम निर्णय मुख्य न्यासी /अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह का ही होगा जो सभी को मान्य होगा ।

विधि का प्रभावी होना

यह कि न्याय पर भारतीय नियम ,नियमावली, संविधान , अधिनियम लागू होंगे और समस्त कार्यवाही भारतीय न्यायालय में ही की जावेगी।

यह कि प्रत्येक प्रकार के विवाद का क्षेत्राधिकार जिला देहरादून तथा उससे संबंधित माननीय उच्च न्यायालय होगा। अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को वर्जित किया जाता है तथा वर्जित समझा जावे।

यह कि यदि उपरोक्तानुसार वर्णित मध्यस्थ की कार्रवाई होती है तो वह भी जनपद देहरादून में ही होगी।

विधिक प्रक्रिया

यह कि न्यास अपने नाम से व अपने विरूद्ध वाद लड़ने का अधिकारी है। सामान्यता अध्यक्ष विधिक प्रक्रियायें है तथा उससे संबंधित प्रक्रियाएं हस्ताक्षर करेगा व कार्रवाई करेगा ।

संचालक मण्डल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अध्यक्ष के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को न्यास की सुरक्षा या न्यास द्वारा कार्रवाई किए जाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत कर दे कि जो न्यास की ओर से न्याय के समतुल्य समस्त प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर कर सके ।

न्यास के प्रावधानों के अनुसार अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था के संस्थापक या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि का होगा।

अतः यह सामाजिक एवं शिक्षा न्यास विलेख उपरोक्त दिनांक माह वर्ष को साक्षी गणों के समक्ष अंकित कर हस्ताक्षर कर दिया गया है ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आवे।

दिनांक 21–.08–2018

हस्ताक्षर
संरक्षक / संस्थापक / अध्यक्ष
श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री कुंवर सिंह
निवासी– 14 ए ,रॉबर्टस लाइन,
घंघोड़ा, गढ़ीकैन्ट,देहरादून
उत्तराखण्ड 248003
आधार कार्ड नं. 204758315071
पैन कार्ड नं0 DGTP4216J

स्थान –देहरादून

1. गवाह
हस्ताक्षर–
नाम – राकेश रावत
पिता का नाम – प्रताप सिंह रावत
पता – 109, विजय कॉलोनी हाथीबड़कला, देहरादून उत्तराखण्ड 248001
आधार कार्ड नं. 479791828098
पैन कार्ड नं0 BEAPR5861M

2 गवाह
हस्ताक्षर–
नाम – हरिशंकर सैनी
पिता का नाम – आर के सिंह
पता – 435 खुड़बुड़ा देहरादून उत्तराखण्ड 248001
आधार कार्ड नं. 322872623325
पैन कार्ड नं0 AUTPS6853N

बही संख्या 4 जिल्द 172 के पृष्ठ 117 से 152 पर क्रमाक 642

पर आज दिनांक 21 Aug 2018 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, देहरादून, तृतीय
21 Aug 2018